कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया म.प्र.

–:: निविदा ::–

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कैंटीन का संचालन निर्धारित शर्तो के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान **दिनांक 12/12/2026 को शाम 03:00 बजे** से न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कैंटीन के ठेके हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को राशि 5000/– रूपये जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दतिया के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

02. नवीन जिला न्यायालय की कैन्टीन संचालन का ठेका राशि 6264/– रूपये प्रतिमाह (विद्युत बिल पृथक से) में दिनांक ..... से ..... वर्ष की अवधि दिनांक ..... तक अथवा आगामी आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए प्रदान किया जावेगा।

03. कैंटीन का मासिक ठेका राशि रूपये 6264/– (राशि छः हजार दो सौ चौसठ रूपये) न्यूनतम निर्धारित की गई है, उक्त राशि से कम की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी तथा जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक राशि का दिया जाना प्रस्तावित किया जावेगा, उस व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी।

04. कैंटीन संचालन हेतु निविदा की शर्त अनुसार ठेकेदार के द्वारा तीन माह का ..... किराया राशि ...../– रूपये सुरक्षा निधि के रूप में जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दतिया के पास एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगा।

05. कैन्टीन ठेकेदार द्वारा मासिक किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दतिया के पास जमा करना होगा।

06. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा ''स्वच्छ न्यायालय अभियान'' के अंतर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा तथा सफाई व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करानी होगी।

07. कैंटीन ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी।

08. कैंटीन का ठेका आवंटन/निरस्त के संबंध में एक मात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होगा।

09. कैन्टीन में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

10. कैन्टीन में बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा दृव्य का संग्रह एवं विक्रय नहीं किया जाएगा।

11. कैन्टीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी। जांच के उपरांत यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है, तो कैन्टीन का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

12. कैन्टीन ठेका का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

13. कैन्टीन में ध्वनि प्रदूषण वर्जित रहेगा।

14. कैन्टीन ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।

15. विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की भाव सूची प्रदर्शित करनी होगी।

16. कैन्टीन ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

17. कैन्टीन पर बाल श्रम कराया जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

18. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर जमा राशि राजसात की जावेगी।

19. कैंटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिये तथा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो।

20. कैंटीन ठेकेदार द्वारा कोरोना गाईड लाईन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)